

झारखण्ड सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग।

पत्र संख्या: 555 / राँची, दिनांक - 14/08/2013

प्रेषक,

मस्त राम भीणा,  
सचिव-सह-आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/ (वैट ऑडिट)/ (अपील),  
सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय:-

JVAT 504G (SUGAM G) के ऑनलाईन निर्गमन संबंधित Validation के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय सूचना- 4624(अनु0) दिनांक 08.08.2013

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त प्रासंगिक सूचना द्वारा दिनांक 16.08.2013 के प्रभाव से ऑनलाईन निर्गमित रोड परमिट के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है जो निम्नवत् है :-

1. JVAT 504G के निर्गमन हेतु प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) requisition करने हेतु अपना विवरण देकर save करने के उपरांत "New Status" बनाते हैं। तदोपरांत प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) द्वारा commodities details भरने तथा submit कर प्रेषक व्यवसायी (consignor) को भेजने की प्रक्रिया पूरी होने पर "Active Status" बनती है। "New Status" से "Active Status" की वैधता (validity) 5 दिनों की है।

उपरोक्त समय-सीमा तक संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर

Generated unique Road Permit No. (JVAT 504G) स्वतः विलोपित हो जाती है।

2. प्रेषक व्यवसायी (Consignor) द्वारा प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) के requisition में invoice details में आवश्यकतानुसार सुधार कर, transportation details के साथ submit करने के उपरांत JVAT 504G निर्गमन की प्रक्रिया, "Accepted Status" के लिए कुल 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित है।

उपरोक्त समय-सीमा तक संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर system द्वारा Generated unique Roda Permit No. (JVAT 504G) स्वतः विलोपित हो जाती है।

3. प्रेषक व्यवसायी (Consignor) द्वारा system से JVAT 504G निर्गत कर माल परिवहन के उपरांत "Accepted Status" को "Received Status" में परिवर्तित करने के लिए निम्नवत् समय-सीमा निर्धारित की गयी है जिसका आधार विभिन्न राज्यों से झारखण्ड की दूरी (कि०मी०) के अनुसार है :-

क्र० सं०	राज्य	दूरी (कि०मी० में)	सामान परिवहन-अवधि	Transshipment की स्थिति में अतिरिक्त अवधि	क्र०सं०	राज्य	दूरी (कि०मी० में)	सामान परिवहन-अवधि	Transshipment की स्थिति में अतिरिक्त अवधि
1	Andhra Pradesh	2150	15	19 (15+4)	18	Nagaland	1750	12	15 (12+3)
2	Arunachal Pradesh	2100	14	18 (14+4)	19	Orissa	1750	10	15 (10+3)
3	Assam	1700	12	15 (12+3)	20	Punjab	2000	13	15 (13+2)
4	Bihar	700	7	9 (7+2)	21	Rajasthan	2200	15	19 (15+4)
5	Chhattisgarh	1450	11	14 (11+3)	22	Sikkim	1100	9	12 (9+3)
6	Goa	2550	16	20 (16+4)	23	Tamil Nadu	3100	18	22 (18+4)
7	Gujarat	2400	16	20(16+4)	24	Tripura	1200	10	13 (10+3)
8	Haryana	1800	12	15 (12+3)	25	Uttar Pradesh	1650	12	15 (12+3)
9	Himachal Pradesh	2200	15	19(15+4)	26	Uttarakhand	2000	13	16 (13+3)
10	Jammu and Kashmir	2350	15	19(15+4)	27	West Bengal	650	7	9 (7+2)
11	Karnataka	2700	17	21 (17+4)	28	Delhi	1400	11	14 (11+3)
12	Kerala	3200	19	23 (19+4)	29	Chandigarh	1700	12	15 (12+3)
13	Madhya Pradesh	1750	12	15 (12+3)	30	Pondicherry	2750	17	21 (17+4)
14	Maharashtra	2400	16	20 (16+4)	31	Daman & Diu	2300	15	19 (15+4)
15	Manipur	1800	12	15 (12+3)	32	Dadra & Nagar Haveli	2250	15	19 (15+4)
16	Meghalaya	1500	11	14( 11+3)	33	Andaman and Nicobar	3000	18	22 (18+4)
17	Mizoram	1750	12	15 (12+3)	34	Lakshadweep	3500	20	24 (20+4)

उपरोक्त निर्धारित तिथि के अधीन व्यवसायी द्वारा **Received Button click** कर उक्त माल को **"Received"** किया जा सकता है अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत System द्वारा परिवहित माल स्वतः **"Received"** माना जाता है।

अपवादिक स्थिति में उपरोक्त वर्णित समय-सीमा में माल परिवहन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

(क) निबंधित प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) द्वारा JVAT 504G (SUGAM G) के **"Accepted Status"** की अवधि में अंचल प्रमारी को संबंधित माल परिवहन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण (दस्तावेजी प्रमाण सहित) का उल्लेख करते हुए आवेदन देना होगा। संबंधित अंचल प्रमारी द्वारा उक्त आवेदन तथा उपस्थापित प्रमाणों से संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाईन निर्गत JVAT 504G (SUGAM G) के **"Accepted Status"** का ऑनलाईन अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय-समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

*(Handwritten Signature)*

(मस्त राम मीणा)

सचिव-सह-आयुक्त।